(सौरभ कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़, जिला मंदसौर

14.09.2024

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उप.।

आरोपीगण द्वारा श्री कै. सी. चौधरी अधि. उप.।

राजीनामा पर विचार/आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–294, 323/34 (02 शीर्ष), 506 भाग–दो भा.द.वि. के तहत् आरोप विरचित किये गये हैं। धारा–294, 323/34(02 शीर्ष), 506 भाग–दो भा.द.वि. शमनीय प्रकृति की है।

फरियादी/आहत् की ओर से आपसी राजीनामा आवेदन–पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया, जो सारतः इस प्रकार है कि फरियादी, आहत्गण व अभियुक्तगण को मिलने वालों ने समझा दिया है और उनके मध्य जो विवाद था, उसका राजीनामा करवा दिया है, फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य भविष्य में मधुर संबंध बने रहें, इसलिये फरियादी अपनी ईच्छा से राजीनामा कर रहे हैं। उक्त विवाद को लेकर आज के बाद वे कभी भी गाली–गलौज, मारपीट व विवाद नहीं करेगें। अतः आपसी राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया।

आरोपी/गण की पहचान श्री कै.सी. चौधरी अधि. के द्वारा एवं फरियादी/आहत् की पहचान श्री......विनोद गुर्जर......अधि. के द्वारा की गई। प्रकरण में फरियादी द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी गयी थी। फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति है।

गोपाल

२१/०५/२१
जीवन
प्रेमचंद

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding officer
	उभयपक्ष से तस्दीक पर उभयपक्ष ने आपसी राजीनामा आवेदन पत्र स्वैच्छयापूर्वक, बिना किसी डर–दबाव के प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया। प्रकरण में फरियादी की ओर से राजीनामा अनुमति आवेदन पत्र पेश किया गया है, जो सद्भाविक व न्यायोचित प्रतीत होने से राजीनामा अनुमति आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुमति प्रदान की जाती है।
	उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आपसी राजीनामा आवेदन पत्र शमनीय आरोपों के संबंध में स्वीकार किया जाना विधि विपरीत नहीं है। परिणामस्वरूप आपसी राजीनामा आवेदन पत्र शमनीय आरोपों के संबंध में स्वीकार किया जाकर अभियुक्तगण को धारा–294, 323/34(02 शीर्ष), 506 भाग–दो भा.द.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
	आरोपी के जमानत–मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
	प्रकरण में कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।
	प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।
	जतिन परमार (सुलहकर्ता सदस्य)
	सौरभ कुमार सिंह पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0–30 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नारायणगढ,जिला मंदसौर, म0प्र0